TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED 18th December, 1996.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 18th December, 1996 ,

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. ___(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 295 read with sub-section (2AA) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (i) These rules may be called the Income-tax (Ninth Amendment) Rules, 1996.

(ii) These rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 1996.

2. In rule 6 of the Income-tax Rules, 1962,-

(i) in sub-rule (1), after the words "the purposes of", the words and figures "sub-section (1) and sub-section (2A) of" shall be inserted;

(ii) after sub-rule(1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) For the purposes of sub-section (2AA) of section 35, the prescribed authority shall be the head of the National Laboratory or the University or the Indian Institute of Technology, as the case may be.";

(iii) sub-rule (4) shall be omitted;

(iv) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely;-

"(5) The head of the National Laboratory or the University or the Indian Institute of Technology shall , if he is satisfied

(g) On completion of the approved programme, a completion certificate along with a copy of the report on the research activities carried out and salient features of the result obtained and its further application for commercial exploitation shall be jointly submitted by the sponsor and the National Laboratory, University or Indian Institute of Technology to the Director General (Income-tax Exemptions);

(h) A copy of the audited statement of accounts for the approved programme shall be submitted by the Head of the National Laboratory, University or Indian Institute of Technology to the Director General (Income-tax Exemptions) within six months of the completion of the programme.".

3. In appendix II of the Income-tax Rules, 1962,-

(i) for Form No. 3 CG, the following shall be substituted , namely:-

"FORM NO. 3CG
[See rule 6(3)]

Application for approval of scientific research programme under section 35(2AA) of the Income-tax Act, 1961

1. Name and Address of the sponsor including Telex/Fax/Phone numbers.
2. Permanent Account Number (PAN) of the sponsor.
3. Nature of Business/activity of the sponsor (enclose copy of latest Annual Report along with balance sheet, where applicable).
4. Annual turnover of the sponsor during the past three years.
5. Annual Research and Development expenditure of the sponsor during the three years.
6. The Research and Development facilities and research and development activities of the sponsor.
7. Details of technical collaborations, if any, entered into by the sponsor.

8. Does the sponsor have a Department of Scientific and Industrial Research/ recognised in-house Research and Development unit? If yes, give details.

9. Purpose of the Scientific Research Programme for which approval is sought under section 35(2AA) of the Income-tax Act, 1961 [give a brief write up on the research programme indicating the objectives of the programme, stages of implementation, expected results, commercialisation prospects, usefulness of the programme in terms of foreign exchange saving and potential for exports. (in separate annexures)].

10. Proposed date of commencement of the research programme.

11. Total funds to be provided by the sponsor for the programme.

12. Details of deduction claimed(year-wise) by the sponsor under section 35(2AA) of the Income-tax Act, 1961 during the last four years.

Certified that the above information is true to the best of our knowledge and belief.

We undertake to abide by the conditions prescribed in Income-tax Act, 1961, and Rules framed thereunder and the terms and conditions agreed upon between us at the time of approval of programme.

(Signature of the sponsor)

(Name and Designation)

Place :

Date :

Note.- Separate applications have to be submitted in respect of each research programme.";

(ii) for Form No. 3 CH, the following shall be substituted, namely:-

"FORM No. 3CH
[See rule 6(5)]

Order of Approval of Scientific Research Programme under section 35(2AA) of Income-tax Act, 1961

1. Name, Address and PAN of the sponsor.

2. Name and Address of the National Laboratory or University or Indian Institute of Technology.

3. Title of the Scientific Research Programme.

4. Purpose of the programme.

5. Reference No. and date of the application.

6. Date of commencement of the programme.

7. Duration of the programme in months.

8. Assessment year(s) for which the programme has been approved (not exceeding three years).

9. Total cost of the programme and payment terms.

10. Any other condition imposed by the prescribed authority e.g.utilisation of patent rights and commercialisation of rights etc.

(Signature of the Head of the National Laboratory or University or Indian Institute of Technology)

Place :

(Name and Designation)

Date :

Order No.--------------

Copy to :-

(1) Sponsor;

(2) The Director General (Indian Council of Agricultural Research/Indian Council of Medical Research/ Council of Scientific and Industrial Research / the Director General, Defence Research and Development Organisation / Secretary, Department of Electronics / Secretary, Department of Bio-technology / Secretary, Department of Atomic Energy);

(3) The Director General of Income-tax (Exemptions) ;

(4) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research";

(iii) after Form No. 3CI, the following shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 3CJ
[See rule 6(7)]

Report to be submitted by the prescribed authrity to the Director General (Income-tax Exemptions) after approval of scientific research programme under section 35(2AA) of the Income-tax Act, 1961

1. Name and Address of the National Laboratory, University or Indian Institute of Technology including Telex/Fax/Phone numbers.

2. Name and designation of the Head of the National Laboratory, University or Indian Institute of Technology.

3. Agency under which the National Laboratory is functioning (Indian Council of Agricultural Research/ Indian Council of Medical Research/ Council of Scientific and Industrial Research/ Defence Research and Development Organisation/ Department of Electronics / Department of Bio-technology/ Department of Atomic Energy).

4. Name and Address of the sponsor including Telex/Fax/Phone numbers.

5. Permanent Account Number (PAN) of the sponsor.

6. Nature of Business/activity of the sponsor (enclose copy of latest Annual Report along with balance sheet, where applicable).

7. Annual turnover of the sponsor during the past three years.

8. Annual Research and Development expenditure of the sponsor during the three years.

9. Details of deduction claimed (year-wise) by the sponsor under section 35(2AA) of the Income-tax Act, 1961 during the last eight years.

10. Purpose of the Scientific Research Programme [give a brief write up on the requirement research programme indicating the objectives of the programme, stages of implementation, expected results, commercialisation prospects, usefulness of the programme in terms of foreign exchange saving and potential for exports (in separate annexures)].

11. Date of commencement of the research programme.

12. Duration of the programme in months.

13. Total cost of the programme (cost of raw materials, equipment, manpower, services, indirect costs, overheads and intellectual inputs).

14. Payment terms (enclose copy of the agreement between the sponsor and the National Laboratory, University or Indian Institute of Technology).

15. Details of agreement regarding patent rights and commercialisation rights between the sponsor and the National Laboratory, University or Indian Institute of Technology.
(enclose copy of the agreement)

Certified that the above information is true to the best of our knowledge and belief.

We undertake to :

(i) maintain separate accounts for the programme approved;

(ii) submit progress reports every year to the Director General (Income-tax Exemptions); and

(iii) submit final report on completion of the programme along with audited statement of accounts to the Director General of Income-tax (Exemptions).

(Signature of the Head of the National Laboratory, University or Indian Institute of Technology)

(Name and Designation)

Place :______

Date :_______ .

10/12/96

(ANIRUDDHA KUMAR)
UNDER SECRETARY TO THE
GOVERNMENT OF INDIA

F.No. 142/45/96-TPL

No. 10246

Foot Note:- Principal rules were published vide Notification S.O. 969 dated 26.3.1962 and amended from time to time and last amended by Notification published under S.O. 854 dated 6.12.96

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 दिसम्बर, 1996 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1996

अधिसूचना

आय-कर

का. आ. (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उपधारा (2 क क) के साथ पठित धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाता है, अर्थात् :-

1 (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नवाँ संशोधन) नियम, 1996 है ।

(ii) ये 1 अक्तूबर 1996 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

आय-कर नियम, 1962 के नियम 6 में --

(i) उप-नियम (1) में, "के प्रयोजनों" शब्दों के पहले "की उपधारा (1) और उपधारा (2क)" शब्द, अंक और अक्षर अंत: स्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1क) धारा 35 की उपधारा (2 कक) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी यथास्थिति राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का प्रधान होगा" ।

(iii) उप नियम (4) का लोप किया जाएगा,

(iv) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का प्रधान अपना यह समाधान हो जाने पर कि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम चलाना साध्य है, वह इस नियम और अधिनियम की धारा 35 (2 क क) में विहित

अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्ररूप संख्यांक 3 ग ज में एक आदेश पारित कर सकेगा ।

परंतु किसी आवेदन को अस्वीकार किए जाने के पहले प्रायोजक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

परंतु यह और कि इस नियम के अधीन एक आदेश, उपनियम ॥ क॥ के अधीन आवेदन की प्राप्ति के दो मास के भीतर, पारित करेगा,

॥V॥ उप-नियम ॥7॥ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"॥7॥ उपधारा ॥2 क क॥ के अधीन कार्यक्रम का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

॥क॥ कार्यक्रम पूर्ण रूप से संवर्धन बाजार अनुसंधान, विक्रय संवर्धन, क्वालिटि नियंत्रण, परीक्षण, वाणिज्यिक उत्पादन, प्रणाली परिवर्तन, नेमी आंकडा संग्रहण या इसी स्वरूप के क्रियाकलाप से संबंधित नहीं होना चाहिए,

॥ख॥ विहित प्राधिकारी, कार्यक्रम का अनुमोदन मंजूर किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्ररूप 3 ग ञ में महानिदेशक ॥आय-कर छूट॥ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

॥ग॥ प्रायोजक और यथास्थिति राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौधोगिकी संस्थान अनुमोदित कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति और उस पर उपगत वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण महानिदेशक ॥आय-कर छूट॥ को प्रस्तुत करेगा ।

॥घ॥ विहित प्राधिकारी न तो कार्यक्रम की अवधि को बढाएगा और न ही लागतों में किसी वृद्धि का अनुमोदन करेगा ।

...3/-

(ङ) यथास्थिति, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रत्येक अनुमोदित कार्यक्रम के लिए पृथक लेखा रखेगा, जिसकी प्रतिवर्ष संपरीक्षा की जाएगी और उसकी एक प्रति प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष के 31 अक्तूबर, तक महानिदेशक (आय-कर छूट) को प्रस्तुत की जाएगी,

(च) अनुमोदित कार्यक्रम के निष्पादन के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अर्जित आस्तियों का महानिदेशक (आय-कर छूट) के अनुमोदन के बिना निपटान नहीं किया जाएगा।

(छ) अनुमोदित कार्यक्रम के पूरा होनेपर, किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप, और प्राप्त परिणाम के प्रमुख लक्षणों तथा इसके वाणिज्यिक और इसकी आगे उपयोगिता की बाबत रिपोर्ट की एक प्रति समापन प्रमाणपत्र सहित, प्रायोजक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त रूप से महानिदेशक (आय-कर छूट) को प्रस्तुत करेंगे,

(ज) अनुमोदित कार्यक्रम के लिए लेखाओं के संपरीक्षित विवरण की एक प्रति कार्यक्रम के समापन के छह मास के भीतर राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्व-विद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रधान द्वारा महानिदेशक (आय-कर छूट) को प्रस्तुत की जाएगी।

3. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट II में

(i) प्ररूप 3 ग छ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 3 ग छ

(नियम 6 (3) देखिए)

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2 क क) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन।

1 प्रायोजक का नाम और पता, टैलेक्स/फोन सं. सहित।

2. प्रायोजक की स्थायी लेखा संख्यांक (स्था. ले. सं.)।

3. प्रायोजक के कारबार/क्रियाकलाप की प्रकृति जहाँ लागू हो, तुलन पत्र के साथ नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संलग्न कीजिए।

4. पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रायोजक का वार्षिक आवर्त।

5 तीन वर्षों के दौरान प्रायोजक का वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय।

6. प्रायोजक के पास अनुसंधान और विकास सुविधाएं तथा उसके अनुसंधान और विकास क्रिया-कलाप ।

7. प्रायोजक द्वारा किए जाने वाले तकनीकी सहयोगों का ब्यौरा, यदि कोई हो ।

8. क्या प्रायोजक के पास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग/मान्यता प्राप्त अपना अनुसंधान और विकास एकक है यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए ।

9. उस वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का प्रयोजन जिसके लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2 क क) के अधीन अनुमोदन वांछित है (कार्यक्रम के उद्देश्यों, क्रियान्वयन की अवस्थाओं, अनुमानित परिणामों, वाणिज्यिकरणीय संभावनाओं, विदेशी मुद्रा बचत और निर्यात की सम्भावनाओं सहित, समान्य कार्यक्रम की उपयोगिता दर्शित करते हुए कार्यक्रम की आवश्यकता का संक्षिप्त उल्लेख करें (पृथक उपाबंधों में)।

10. अनुसंधान कार्यक्रम के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तारीख

11. कार्यक्रम के लिए प्रायोजक द्वारा दी जाने वाली कुल निधियां

12. प्रायोजक द्वारा अंतिम चार वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2 क क) के अधीन दावा की गई कटौती (वर्षवार) का ब्यौरा ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

हम, आय कर अधिनियम, 1961 और उसके अधीन विरचित नियमों में विहित शर्तों और कार्यक्रम के अनुमोदन के समय हमारे बीच सहमत निबंधन और शर्तों का पालन करने के लिए वचनबंध हैं ।

स्थान

तारीख

(प्रायोजक के हस्ताक्षर)

(पदाभिधान का नाम)

टिप्पण :- प्रत्येक अनुसंधान कार्यक्रम की बाबत पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाए ।

(ii) प्ररूप संख्या 3 ग ज के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"प्ररूप सं 3 म ञ ज
(नियम 6 (5) देखिए)

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2 कक) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन का आदेश

1. प्रायोजक का नाम, पता और स्थायी लेखा सं. (स्था. ले. सं.)
2. राष्ट्रीय प्रयोगशाला का विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम और पता ।
3. वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का शीर्षक
4. कार्यक्रम का प्रयोजन ।
5. आवेदन की संदर्भ संख्यांक और तारीख
6. कार्यक्रम के प्रारंभ होने की तारीख
7. कार्यक्रम की अवधि, महीनों में --
8. निर्धारिती वर्ष जिसके/जिनके लिए कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है (तीन वर्ष से अनधिक)
9. कार्यक्रम की कुल लागत और संदाय निबंधन
10. विहित प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई अन्य शर्त अर्थात पेटेंट अधिकारों की उपयोगिता और अधिकारों का वाणिज्यिकरण आदि

(राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षर)

स्थान -
तारीख -
आदेश सं -

(पदाभिधान का नाम)

प्रति :-

1. प्रायोजक,
2. महानिदेशक (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारतीय अणु आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद/वैज्ञानिकी और औद्योगिक अनुसंधान परिषद महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास/सचिव, सचिव, इलेक्ट्रोनिकी विभाग/सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग/सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
3. महानिदेशक, आय कर (छूट)

~~सचिव, सं. 3 म ञ के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित~~

(4) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(iii) प्ररूप सं. 3 ग झ के पश्चात् निम्नलिखित अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" प्ररूप सं. 3 (ग ञ)

(नियम 6 (7) देखिए)

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2 कक) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अनुमोदन के पश्चात् विहित प्राधिकारी द्वारा महानिदेशक (आय कर छूट) को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट।

1 राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम और पता, टेलेक्स/फैक्स/फोन नं. सहित

2 राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रधान का नाम और पदाभिधान।

3. वह अभिकरण जिसके अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशाला कार्य कर रही है (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद/रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन/इलेक्ट्रोनिकी विभाग/ जैव प्रौद्योगिकी विभाग/परमाणु ऊर्जा विभाग)

4 प्रायोजक का नाम और पता, टेलेक्स/फैक्स/फोन नं. सहित।

5 प्रायोजक का स्थायी लेखा संख्यांक (स्था. ले. सं.)।

6 प्रायोजक के कारबार/क्रिया कलाप का स्वरूप (जहाँ लागू हो, तुलन पत्र के साथ नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करें)

7 पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रायोजक का वार्षिक आवर्त।

8 तीन वर्ष के दौरान प्रायोजक का वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय।

9 पिछले आठ वर्ष के दौरान आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2 कक) के अधीन प्रायोजक द्वारा दावा की गई कटौती (वर्ष वार) का ब्यौरा।

10. वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का उद्देश्य (कार्यक्रम के उद्देश्यों, क्रियान्वयन की अवस्थाएं, अनुमानित परिणाम, वाणिज्यीकरणीय संभावनाएं, विदेशी मुद्रा बचत और निर्यात की संभावनाओं सहित कार्यक्रम की उपयोगिता दर्शित करते हुए अनुसंधान कार्यक्रम की आवश्यकता का संक्षिप्त उल्लेख करें।

11. अनुसंधान कार्यक्रम के प्रारंभ होने की तारीख ।

12. कार्यक्रम की अवधि, महीनों में।

13. कार्यक्रम की कुल लागत (कच्ची सामग्री, उपस्कर, मानव शक्ति, सेवाएं, परोक्ष लागत उपरिव्यय और बौद्धिक निवेश की लागत ।

14. संदाय के निबंधन (प्रायोजक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच किए गए करार की प्रति संलग्न करें) ।

15. प्रायोजक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच पेटेंट अधिकार और वाणिज्यीकरणीय अधिकारों के संबंध में करार का ब्यौरा ।

(करार की प्रति संलग्न करें)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है । हम,

(i) अनुमोदित कार्यक्रम के लिए पृथक लेखाओं के अनुरक्षण के लिए

(ii) महानिदेशक (आय कर छूट) को प्रत्येक वर्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए

(iii) लेखाओं के संपरीक्षित विवरण के साथ कार्यक्रम के पूरा होने पर (महानिदेशक, आय कर छूट) को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, ~~अंतिम रिपोर्ट~~ वचन देते है ।

स्थान -

तारीख -

(राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षर)

(नाम और पदाभिधान)

(अनिरूध कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

फा. सं. 142/45/96-टी. पी. एल.
10246